

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी (म.प्र.)
(समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय)

विविध आपराधिक प्रकरण क्र.017/2015
संस्थित दिनांक- 30.03.2015

1. सपना पति अश्विन गोले,
आयु-26 वर्ष, निवासी ग्राम तलवाड़ा डेब,
तहसील अंजड़, जिला- बड़वानी, म.प्र.
हालमुकाम टिटगारिया खेड़ा, तहसील ठीकरी,
जिला- बड़वानी म.प्र.
2. दिशा पिता अश्विन गोले,
अवयस्क जनक माता सपनाबाई पति
अश्विन गोले, निवासी तलवाड़ा डेब,प्रार्थीगण

वि रू द्ध

अश्विन पिता दिनेश गोले, उम्र-28 वर्ष,
व्यवसाय-खेती, निवासी ग्राम
तलवाड़ा डेब, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.
.....प्रतिप्रार्थी

प्रार्थीगण द्वारा	— श्री एल.के. जैन अधिवक्ता ।
प्रतिप्रार्थी द्वारा	— श्री ए.के. उपाध्याय अधिवक्ता ।

—: आ दे श :-
(आज दिनांक 12/10/2017 को पारित)

01. इस आदेश के द्वारा प्रार्थीगण के आवेदन द.प्र.सं.1973 की धारा- 125 का निराकरण किया जा रहा है जिसके माध्यम से प्रार्थीगण ने प्रतिप्रार्थी से भरण-पोषण के रूप में प्रतिमाह रुपये 7000/- (सात हजार रुपये) दिलाने का निवेदन किया।

02. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रार्थी क्रमांक 1 का विवाह प्रतिप्रार्थी से दिनांक 28.01.2012 को हिन्दु रीति रिवाज से विवाह सम्मेलन अंजड़ में हुआ था। प्रार्थी क्रमांक 2 प्रतिप्रार्थी एवं प्रार्थी क्रमांक 1 की पुत्री है, यह तथ्य भी स्वीकृत है कि कुटुंब न्यायालय बड़वानी द्वारा प्रतिप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी क्रमांक 01 के विरुद्ध हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 13 के आवेदन के आधार उनके विवाह विच्छेद की डिक्री दिनांक 21.08.2015 को पारित की गई है जिसके विरुद्ध प्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा की गई प्रथम अपील क्रमांक 719/2015 में माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा प्रतिप्रार्थी को प्रार्थीगण

को प्रतिमाह रुपये 10,000/—(दस हजार रुपये) अंतरिम भरण—पोषण देने का आदेश हुआ है जो प्रतिप्रार्थी द्वारा अदा नहीं किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि वर्तमान में प्रार्थीगण, प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रहे हैं ।

03. प्रार्थीगण का आवेदन दिनांक 30.03.2015 धारा—125 द.प्र.सं. संक्षेप में इस प्रकार है कि विवाह के बाद से प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी के साथ उसके घर ग्राम तलवाड़ डेब में रही तथा अपना पत्नी धर्म निभाया लेकिन प्रतिप्रार्थी बिना किस कारण के प्रार्थी क्रमांक 01 के साथ मारपीट करने गंदी गंदी गालियां एवं जान से मारने की धमकी देने का आदी है। प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 01 को दहेज के लिये प्रताड़ित करता है और उससे नगदी रुपये की मांग करता था। प्रार्थी क्रमांक 01 के पिता से टेप रिकॉर्ड और गोदरेज अलमारी की मांग की जब प्रार्थी क्रमांक 01 ने यह कहा कि उसका पिता देने में सक्षम नहीं है तो प्रतिप्रार्थी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और प्रतिदिन परेशान करता था। प्रतिप्रार्थी के इस व्यवहार से प्रार्थी क्रमांक 01 अपने पुत्री के साथ ग्राम टिटगारिया आवेदन पेश करने के लगभग 15 माह पहले से ही चली गई और वहीं रह कर दुखी जीवन बिता रही है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण के भरण—पोषण की कोई व्यवस्था नहीं की जबकि उसके पास कृषि भूमि है तथा अन्य साधनों से उसकी वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपये होती है इस कारण वह अपनी पत्नी को प्रतिमाह रुपये 5000/— (पांच हजार रुपये) और अपनी पुत्री को प्रतिमाह रुपये 2000/— (दो हजार रुपये) इस प्रकार कुल 7000/— (सात हजार रुपये) अदा करने में सक्षम है। प्रार्थी क्रमांक 01 कुछ काम नहीं करती तथा भुखे मर रही है। इस कारण प्रार्थीगण को प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 7000/— (सात हजार रुपये) भरण—पोषण दिलवाया जाये।

04. प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रार्थी के उक्त आवेदन का विरोध इस आधार पर किया कि उसके द्वारा कभी भी प्रार्थी को मारपीट गालियां और धमकियां नहीं दी तथा दहेज की मांग भी नहीं की उसने प्रार्थी के पिता से टी.वी., टेप रिकॉर्ड और गोदरेज अलमारी की मांग भी नहीं की तथा दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित भी नहीं किया। प्रार्थी क्रमांक 01 बिना कारण से अपनी मर्जी से अपने पिता के घर पुत्री सहित निवास कर रही है तथा प्राइवेट स्कूल में नौकरी करके अपना और पुत्री का भरण—पोषण कर रही है। प्रतिप्रार्थी के पास कोई खेती नहीं है और उसे 5 लाख रुपये वार्षिक की आय नहीं होती। प्रतिप्रार्थी एक मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा प्रार्थीगण को पृथक से भरण—पोषण देने में सक्षम नहीं है। वह प्रार्थीगण को प्रतिमाह रुपये 7000/— (सात हजार रुपये) भरण—पोषण देने में भी सक्षम नहीं है।

05. प्रतिप्रार्थी का विशेष अभिवचन है कि विवाह के दूसरे दिन से ही प्रार्थी क्रमांक 01 बिना कारण से प्रतिप्रार्थी से झगड़ा करने लगी और उस पर अपने परिवार से अलग रहने का दबाव बनाने लगी तब प्रतिप्रार्थी ने समझाया कि वह मजदूरी पेशा व्यक्ति है तथा परिवार से पृथक रहना संभव नहीं है तब प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी के माता—पिता से झगड़ा करने लगी और प्रतिप्रार्थी के दादा पर भी झूठे आरोप लगाये तथा अपनी अव्यसक पुत्री को लेकर अपने पिता के घर चली गई। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण को वापस लाने के लिये कई बार कोशिश की लेकिन उसके परिवार ने प्रार्थी को भेजने से इंकार कर दिया तथा प्रतिप्रार्थी को दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में फंसाने की धमकी दी इसके

संबंध में प्रतिप्रार्थी ने थाना ठीकरी में दिनांक 31.10.2013 को लिखित में रिपोर्ट की चूंकि प्रार्थी क्रमांक 01 बिना किसी कारण के प्रतिप्रार्थी से अलग निवास कर रही है तथा प्राईवेट स्कूल में नौकरी करके आय प्राप्त कर रही है इसलिये प्रार्थी प्रतिप्रार्थी से भरण-पोषण पाने की अधिकारी नहीं है। प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थी का आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की।

06. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
(अ)	क्या प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी से बिना किसी उचित कारण के पृथक निवास कर रही है ?
(ब)	क्या प्रार्थीगण स्वयं का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है ?
(स)	क्या प्रतिप्रार्थी प्रार्थीगण का भरण पोषण करने में सक्षम है ?
(द)	क्या प्रार्थीगण प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 7,000/-भरण-पोषण प्राप्त करने के अधिकारी है ?

सकारण – निष्कर्ष

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 'अ' से 'द' :-

07. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में श्रीमती सपना (प्र.सा.1) का कथन है कि विवाह के कुछ दिन बाद से उसे उसके पति तथा सास-ससुर दहेज की मांग के लिये मारपीट करना शुरू कर दिया। उसे बार-बार ताने देते थे कि उसके माता-पिता ने कुछ नहीं दिया तथा जान से मारने की धमकी भी दी। उसे ससुराल वाले माता-पिता के यहाँ से सोने की चेन, गोदरेज अलमारी, टी.वी. तथा नगद रुपये लाने को कहते थे। उसने इस संबंध में रिपोर्ट इसलिये नहीं की थी कि घर परिवार टूटे नहीं तथा ससुराल वाले कभी भी समझ जाएंगे और परिवार नहीं टूटेगा। जब उसे 7 माह का गर्भ था तब उसका पति उसे जबरन उसके माता-पिता के घर छोड़ गया था और उसे कभी भी वापस लाने का प्रयास नहीं किया। उसने प्रतिप्रार्थी को फोन भी लगाया लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसकी दादी सास की मृत्यु होने पर वह अपने ससुराल गई थी उसके पश्चात् भी उसके साथ मारपीट करके भगा दिया था तथा कहा कि तलाक के कागज भिजवा देना। उसकी पुत्री का जन्म उसके माता-पिता के यहाँ ग्राम टिटगारिया में हुआ था तब भी उसे कोई देखने नहीं आया था। डिलेवरी का सारा खर्च उसके माता-पिता ने किया था उसकी पुत्री उसके साथ ही रहती है। वह कोई कार्य व्यवसाय नहीं जानती उसका पालन-पोषण उसके माता-पिता कर रहे हैं तथा वे दोनों उसके माता-पिता पर अश्रित है। प्रतिप्रार्थी के पास खेती है जे.सी.बी तथा तीन ट्रैक्टर है जो भाड़े पर चलाते हैं। एक वेन है एवं डी.जे. साउंड भी है। इन सभी से उन्हें प्रतिवर्ष 5

लाख की आय प्राप्त हो जाती है। उसने प्रतिप्रार्थी के नाम से मारुती वेन उसके पिता के नाम से ट्रैक्टर होने के संबंध में दस्तावेजों की छाया प्रति इंटरनेट से निकालकर पेश की है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी ने कुटुंब न्यायालय बड़वानी में विवाह विच्छेद का आवेदन पेश किया था जिसमें दिनांक 31.08.2015 को विवाह विच्छेद की डिक्री प्रतिप्रार्थी के पक्ष में पारित हो गई है जिसमें उसके पक्ष में भरण-पोषण का कोई भी आदेश हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत नहीं दिया है।

08. प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने प्रतिप्रार्थी और उसके पिता के नाम वाहन होने के जो दस्तावेज पेश किये हैं वह छायाप्रति हैं और उस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। प्रार्थी ने भी स्वीकार किया कि जे.सी.बी. के पर्चे में यह नहीं लिखा कि उक्त मशीन उसके पति या उनके परिवार के नाम से है लेकिन प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि उनके नाम तथा मोबाईल नम्बर लिखे हैं। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसे प्रतिप्रार्थी के परिवारों के नाम से खेती की जमीन है। उसके संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसे गांवों के लोगों ने बताया कि प्रतिप्रार्थी ने उसके विरुद्ध दिनांक 31.10.2013 को थाना ठीकरी में एक रिपोर्ट लिखाई थी कि प्रार्थी ने स्पष्ट किया था कि प्रतिप्रार्थी कहता था कि उसे प्रार्थी से तलाक लेना है और यह उसकी योजना है।

09. प्रार्थी से माननीय कुटुंब न्यायालय बड़वानी के निर्णय दिनांक 21.08.2015 में प्रार्थी के विरुद्ध दिये गये निष्कर्ष के संबंध में प्रश्न पूछे गये हैं लेकिन चूंकि प्रार्थी ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की है तथा उक्त अपील अभी लंबित है, इसलिये उक्त संबंध में प्रार्थी की स्वीकारोक्ती पर विचार नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने यह स्वीकार किया कि उसने अपने आवेदन में यह लिखावाया था कि उसे उसका पति छोड़कर आ गया था लेकिन उसके आवेदन में यह नहीं लिखा है। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपने अधिवक्ता को बताया था कि प्रतिप्रार्थी और उसके माता-पिता ने उसे वापस लाने का प्रयास नहीं किया और फोन भी नहीं किया लेकिन उसके आवेदन में यह बात नहीं लिखी थी तो वह कारण नहीं बता सकती। प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसके समाज के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल और अन्य व्यक्ति आये थे लेकिन प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि वे लोग ससुराल ले जाने के लिये नहीं आये थे बल्कि वह प्रतिप्रार्थी की ओर से यह संदेश लेकर आये थे कि प्रार्थी रुपये दो लाख लेकर प्रतिप्रार्थी को तलाक दे दे लेकिन प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह समाज के लोगों के कहने से प्रतिप्रार्थी के घर नहीं गई इसलिये प्रतिप्रार्थी ने उसके विरुद्ध तलाक का आवेदन लगाया। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि विवाह के 02 वर्ष पूर्व प्रतिप्रार्थी से सगाई हुई और दोनों परिवारों का एक दूसरों के घर आना-जाना लगा रहता था।

10. प्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी और उसके परिवार को विवाह के पूर्व ही प्रार्थी के पिता की आर्थिक स्थिति के बारे में मालूम था। उसका विवाह सम्मेलन में होना उसके ससुर ने होना निश्चित किया था लेकिन प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि सम्मेलन में विवाह करने पर दहेज नहीं लिया जाता है। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह जब तक ससुराल रही इस बीच उसका अपने माता पिता के घर आना

जाना लगा रहता था और उसने प्रतिप्रार्थी और उसके परिवारों के विरुद्ध थाने पर कोई शिकायत नहीं की और समाज की पंचायत भी नहीं बैठाई। प्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह अपने ससुराल लगभग 8-9 माह तक रही। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने दवाना में शिक्षिका के रूप में नौकरी की है या वह प्राइवट नौकरी अभी भी कर रही है। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह विवाह के दो दिन बाद से ही प्रतिप्रार्थी को घर से अलग रखने का कहती थी अथवा उसके माता पिता से विवाद करती थी। प्रार्थी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह कोई नौकरी कर सकती है। प्रार्थी ने स्पष्ट किया कि स्कूलों में नौकरी के लिये बी.एड या डी.एड होना आवश्यक है। प्रार्थी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी मजदूरी करता है अथवा वह अपनी मर्जी से ससुराल में नहीं रहना चाहती थी अथवा प्रतिप्रार्थी और परिवार से कभी भी दहेज की मांग नहीं की अथवा वह नौकरी करके अपना भरण-पोषण कर सकती है।

11. त्रिलोकचन्द (प्र.सा.02) तथा दौलत (प्र.सा.03) ने भी प्रार्थी क्रमांक 01 को विवाह के पश्चात प्रतिप्रार्थी द्वारा दहेज के लिये परेशान करने और मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि प्रतिप्रार्थी और उसके परिवार वालों ने प्रार्थी क्रमांक 01 को नगद रुपये टी.वी., फ्रिज तथा जरूरत का बड़ा समान लाने के लिये कहते हैं। उक्त साक्षियों का यह भी कथन है कि विवाह के 8-9 माह बाद प्रतिप्रार्थी प्रार्थी क्रमांक 01 को उसके घर छोड़ दिया था। प्रार्थी क्रमांक 01 वर्तमान में ग्राम टिटगारिया तथा कोई काम नहीं जानती है जबकि प्रतिप्रार्थी की इलेक्ट्रानिक दुकान खेती बाड़ी है तथा प्रतिवर्ष 5-6 लाख रुपये की आय प्राप्त करता है तथा प्रार्थीगण प्रतिमाह 7000/-रुपये (सात हजार रुपये) भरण-पोषण आसानी से दे सकता है। प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में त्रिलोकचन्द (प्र.सा.02) ने स्वीकार किया है कि प्रतिप्रार्थी के नाम से जमीन है इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। उसे प्रार्थी क्रमांक 01 ने विवाह के 02 माह बाद ससुराल में दुर्यवहार होने के बारे में बताया था लेकिन उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की थी। उसने समाज की कोई पंचायत भी नहीं बिठाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी को उसके माता-पिता के अलग रहने का कहती थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उक्त बातें उसके सपना ने बताई थी लेकिन साक्षी से इस सुझाव से इंकार किया कि सपना अपनी मर्जी से प्रतिप्रार्थी का घर छोड़ कर आ गयी थी अथवा प्रतिप्रार्थी और उसके परिवार वाले सपना को लेने आये थे तो सपना ने जाने से माना कर दिया था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी मजदूरी करता है या प्रार्थी को प्रतिमाह रुपये 7000/-रुपये (सात हजार रुपये) देने में समक्ष नहीं है या प्रार्थी क्रमांक 01 नौकरी करती है।

12. दौलत (प्र.सा.03) ने प्रतिप्रार्थी के इस सुझाव को स्वीकार किया कि यदि प्रतिप्रार्थी की कृषि भूमि उसके दादा के नाम से हो तो उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी के घर ट्रैक्टर जे.सी.बी. तथा इलेक्ट्रानिक्स की दुकान किसके नाम से है उसको जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने सपना को उसके ससुराल वालों के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करने को नहीं कहा था

लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसका घर नहीं टुटे इसलिये रिपोर्ट करने का नहीं कहा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रतिप्रार्थी की आय प्रतिवर्ष रुपये 5-7 लाख होने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि सपना अश्विन को उसके परिवार से अलग रहने का कहती थी अथवा वह सपना का मौसा होने के कारण उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।

13. अश्विन (प्र.प्रा.सा क्र. 01) का कथन है कि वह मजदूरी का काम करता है। प्रार्थी विवाह के दूसरे दिन से ही विवाद करने लगी थी। प्रार्थी अपने पिता के घर जाने से ज़िद करती थी और उसे उसके परिवार से अलग रहने का कहती थी। उसने प्रार्थी को समझाया कि वह मजदूरी करता है और उसे परिवार से अलग नहीं रह सकता फिर भी प्रार्थी नहीं मानी और अपने मायके चली गई। प्रार्थी को वे लोग समझा बुझाकर लाये फिर भी उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया तथा वह घर वालों के साथ गलत व्यवहार करने लगी। उसने प्रतिप्रार्थी के दादा जी पर भी आरोप लगाया कि उन्होंने प्रार्थी का हाथ पकड़ कर उसके बाद प्रार्थी के साथ अलग रहने लगा तब प्रार्थी ने सुसाईड नोट लिख कर दिया और मरने की धमकी दी। प्रार्थी क्रमांक 01 ने उसके परिवार को दहेज प्रताड़ना के केस में फंसाने की धमकी दी तब उसने प्रार्थी के विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट थाना ठीकरी में दिनांक 31.10.2013 को की थी। उसके बाद उन्होंने प्रार्थी को लेने के लिये समाज के वरिष्ठ और परिवार वालों के साथ भेजा था लेकिन प्रार्थी ने आने से मना कर दिया उसके बाद उसने कुटुंब न्यायालय बड़वानी में तलाक का आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय ने आवेदिका से उसका तलाक मंजूर कर दिया। प्रार्थी अपने माता-पिता के घर रहकर प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर अपना तथा अपनी बच्ची का भरण-पोषण कर रही है। प्रार्थीगण की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके परिवार में उसका भाई उसकी पत्नी और वह निवास करते हैं। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके पिता जी के पास तीन ट्रैक्टर है जो किराये पर देते हैं। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके नाम से एक कार नम्बर एम.पी.09 बी.सी. 0841 है। किन्तु कार नम्बर एम.पी.09 बी.सी. 4479 अपने नाम पर होना से इंकार किया। प्रतिप्रार्थी ने अपने पिता के पास स्वयं को मजदूरी करना और अपनी आय प्रतिमाह रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) होना स्वीकार किया है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसके माता-पिता उसे खाना-पीना देते हैं। उसके अलावा वह अपने उपर प्रतिमाह रुपये 1500/- (पंद्राह सौ रुपये) खर्च करता है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रतिमाह रुपये 10000/- (दस हजार रुपये) भरण-पोषण प्रार्थीगण को देने का आदेश दिया है तथा यह भी स्वीकार किया कि उसके द्वारा उक्त भरण-पोषण की राशि प्रार्थीगण को अदा नहीं की जा रही है। प्रतिप्रार्थी ने यह जानकारी होने से इंकार किया कि उसकी स्विफ्ट कार में कितना डीजल लगता है और कितनी आमदनी होती है। वह नहीं बता सकता है।

14. प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि विवाह के कुछ दिन बाद उसने और उसके माता-पिता ने प्रार्थी क्रमांक 1 से दहेज की मांग को लेकर मारपीट चालू कर दी थी अथवा प्रार्थी को उसके माता-पिता के घर से सोने की चैन, गोदरेज अलमारी और नगद रुपये लाने का करते थे। प्रतिप्रार्थी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि प्रार्थी क्रमांक 01 जब गर्भवती थी तब वह प्रार्थी को जबरदस्ती उसके माता-पिता के घर

छोड़ आया था लेकिन प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि वह सपना की पुत्री का जन्म होने पर परिवार सहित उसे देखने के लिये कभी नहीं गया था। प्रतिप्रार्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने बड़वानी न्यायालय के आदेश के तीन माह बाद दूसरी शादी कर ली है और उसकी शादी को लगभग एक वर्ष हो गया है। प्रतिप्रार्थी ने स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी की नौकरी का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि वह भरण-पोषण देने से बचने के लिये अपने पिता के यहाँ मजदूरी करने की बात असत्य बता रहा है।

15. मुकेश (प्र.प्रा.सा.क.02) का कथन है थी प्रतिप्रार्थी उसका भतिजा है। विवाह के 1-2 रोज बाद ही प्रार्थी क्रमांक 01 ने विवाद करना शुरू कर दिया था तथा वह प्रतिप्रार्थी को परिवार से अलग रहने के लिये दबाव बनाती थी उसके बाद प्रतिप्रार्थी और प्रार्थी क्रमांक 01 अलग रहने लगे, वहाँ भी प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी से विवाद करती थी तथा आत्महत्या करने की धमकी देती थी। उसने सुसाईड नोट भी लिखकर प्रतिप्रार्थी को दिया था। उसके बाद प्रार्थी क्रमांक 01 अपने माता-पिता के घर चली गई और दहेज प्रताड़ना के प्रकरण में फंसाने की धमकी देती थी। उसके बाद वे लोग प्रार्थी क्रमांक 01 को लेने गये लेकिन प्रार्थी क्रमांक 01 नहीं आयी तो प्रतिप्रार्थी ने तलाक का दावा बड़वानी न्यायालय में पेश किया। प्रतिप्रार्थी मजदूरी का काम करता है और लगभग 2000-3000 रुपये प्रतिमाह कमा लेता है। सपना प्राईवेट स्कूल में नौकरी करती है। प्रार्थीगण की ओर से किये गये प्रतिरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रार्थी के पिता जीवित है और उनकी प्रतिमाह रुपये 10000/- (दस हजार रुपये) की आमदनी है। प्रतिप्रार्थी के पिता अपने लडके रवि की दुकान पर बैठते हैं। प्रतिप्रार्थी के पिता अपने पिता की दो एकड़ भूमि पर खेती करते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रतिप्रार्थी के पास एक मारुती वेन है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी के पास स्विफ्ट कार है। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया कि सपना से प्रतिप्रार्थी के घर वाले दहेज की मांग और मारपीट करते थे। साक्षी ने सुझाव से इंकार किया कि प्रतिप्रार्थी की आय प्रतिवर्ष 3-4 लाख है। अथवा वह प्रतिप्रार्थी का रिश्तेदार होने के कारण उसके पक्ष में असत्य कथन कर रहा है।

16. इस प्रकार स्पष्ट रूप से उभय पक्षों की साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि विवाह के बाद से ही प्रार्थी क्रमांक 01 और प्रतिप्रार्थी के मध्य विवाद प्रारंभ हो गये थे। इस कारण प्रार्थी आवेदन प्रस्तुत करने के पहले से प्रतिप्रार्थी से पृथक निवास कर रही है तथा प्रार्थी क्रमांक 02 का जन्म भी उसके माता-पिता के यह हुआ था। प्रतिप्रार्थी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि प्रार्थी क्रमांक 02 के जन्म के बाद वह तथा उसका परिवार कभी भी उससे मिलने नहीं गये। ऐसी स्थिति में प्रतिप्रार्थी की उपेक्षा प्रार्थीगण के प्रति स्पष्ट प्रमाणित होती है। प्रतिप्रार्थी का यह भी कथन नहीं है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करने के पूर्व प्रार्थीगण के भरण-पोषण हेतु कोई राशि उन्हें प्रदान की गई थी। प्रतिप्रार्थी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि प्रार्थी क्रमांक 01 नौकरी करके स्वयं का भरण-पोषण कर रही है। प्रतिप्रार्थी की ओर से माननीय कुटुंब न्यायालय बड़वानी द्वारा उसके पक्ष में पारित विवाह विच्छेद

निर्णय दिनांक 21.08.2015 **प्रदर्श डी-1** के आधार पर प्रार्थी क्रमांक 01 को स्वेच्छा से प्रतिप्रार्थी से पृथक रहना प्रमाणित होना कहा गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी के प्रति कुरता होना भी प्रमाणित होना बताया गया है लेकिन उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थी क्रमांक 01 ने माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने अपील प्रस्तुत की है जो अभी लंबित है ऐसी स्थिति में माननीय कुटुंब न्यायालय बड़वानी का उक्त निर्णय अंतिम नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील लंबित होने से उक्त निर्णय में दिये गये निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध कुरता किया जाना अथवा प्रतिप्रार्थी से स्वेच्छा से पृथक निवास करना वर्तमान स्थिति में नहीं माना जा सकता है।

17. प्रार्थी क्रमांक 01 ने प्रतिप्रार्थी और उसके परिवार द्वारा दहेज की मांग के लिये प्रताड़ित करना और मारपीट करना अपने कथनों में स्पष्ट रूप से बताया है जिसका समर्थन उसके शेष साक्षियों के कथनों से भी होता है और उक्त किसी भी साक्षी के कथन का कोई खंडन प्रतिप्रार्थी की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। प्रतिप्रार्थी की ओर से प्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा आत्महत्या करने का नोट लिखा जाना एवं प्रतिप्रार्थी के दादा पर असत्य आरोप लगाना बताया है लेकिन उक्त नोट पेश नहीं किया गया और प्रतिप्रार्थी के दादा को भी उन पर लगाये गये असत्य आरोप के संबंध में साक्षी के रूप में पेश नहीं किया गया है जबकि उक्त दोनों ही प्रतिप्रार्थी की ओर से इस संबंध में सर्वोत्तम साक्ष्य हो सकते थे, जिन्हें पेश नहीं किया गया ऐसी स्थिति में इस संबंध में प्रतिप्रार्थी के विरुद्ध उपधारणा की जा सकती है तथा प्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा आत्महत्या का नोट लिखा जाना प्रतिप्रार्थी की प्रताड़ना के कारण होने की भी उपधारणा की जा सकती है। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी क्रमांक 01 को प्रतिप्रार्थी से अलग रहने का प्रयाप्त कारण है।

18. प्रतिप्रार्थी ने स्वयं को मजदूरी करना और अपने आय प्रतिमाह केवल रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये) होना बताया है लेकिन प्रतिपरीक्षण में स्वयं के पास स्विफ्ट कार होना स्वीकार किया है तथा उसके साक्षी मुकेश (प्र.प्रा.सा.क्र 02) जो कि प्रतिप्रार्थी का चाचा है ने भी प्रतिप्रार्थी के पास मारुती वेन होना स्वीकार किया है। प्रतिप्रार्थी ने यद्यपि स्वयं के नाम से जे.सी.बी मशीन और साउंड सिस्टम का व्यापार होने से इंकार किया है लेकिन उक्त व्यापार के पर्चों पर और विजिटिंग कार्ड पर अपना नाम होना स्वीकार किया है जिसका कोई भी स्पष्टीकरण प्रतिप्रार्थी की ओर से नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त व्यापार प्रतिप्रार्थी द्वारा किया जा रहा है और वह इस संबंध में जानबुझकर असत्य कथन कर रहा है। प्रतिप्रार्थी के पास दो कार हैं तथा प्रतिप्रार्थी की स्वीकारोक्ती से उसका अन्य व्यापार भी होना प्रमाणित होता है। प्रतिप्रार्थी के परिवार में संयुक्त रूप से कृषिभूमि भी है ऐसे स्थिति में प्रतिप्रार्थी की मासिक आय लगभग रुपये 20,000-25,000/- उसके जीवन स्तर तथा कार्य को देखते हुये उपधारणा की जा सकती है। इस प्रकार प्रतिप्रार्थी, प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने में सक्षम व्यक्ति प्रमाणित होता है।

19. उभय पक्ष के अधिवक्ता ने भी तर्क के दौरान प्रतिप्रार्थी द्वारा क्रय और विक्रय किये गये भुखण्डों के विक्रय पत्रों की छायाप्रति पेश की है लेकिन उक्त छायाप्रतियों के

आधार पर कोई भी निष्कर्ष अभिलिखित किया जाना उचित एवं विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है। प्रतिप्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा प्रार्थी क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील क्रमांक 719/15 में दिनांक 28.10.16 को प्रार्थीगण के रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) भरण-पोषण देने का आदेश पारित किया गया है। इस कारण प्रार्थीगण कोई और राशि भरण-पोषण के रूप में पाने के अधिकारी नहीं है। उक्त आदेश की छायाप्रति भी प्रतिप्रार्थी की ओर से पेश की गई है लेकिन प्रतिप्रार्थी स्वयं ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार प्रार्थीगण को भरण-पोषण की राशि अदा नहीं की जा रही है तथा उक्त आदेश की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि उक्त भरण-पोषण का आदेश अंतरिम स्वरूप का है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रतिप्रार्थी ने प्रार्थीगण को भरण-पोषण की कोई राशि आज दिनांक तक अदा नहीं की है। इस कारण प्रतिप्रार्थी का उक्त तर्क भी स्वीकार करने योग्य नहीं है।

20. इस प्रकार उभय पक्षों की साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थी क्रमांक 01 के पास प्रतिप्रार्थी से पृथक् रहने का पर्याप्त कारण है तथा प्रार्थीगण स्वयं का भरण-पोषण करने में सक्षम नहीं है जबकि प्रतिप्रार्थी 01 स्वस्थ शरीर वाला नवयुवक है जिसके पास स्वयं के नाम से दो कारे हैं। परिवार का व्यापार एवं संयुक्त कृषिभूमि है। यहाँ तक की उसने प्रार्थी क्रमांक 01 से विवाह विच्छेद के तीन माह बाद ही दूसरा विवाह ही कर लिया है। इससे भी प्रतिप्रार्थी की आर्थिक स्थिति अच्छी होने की उपधारणा की जा सकती है। जबकि प्रार्थी क्रमांक 01 केवल बी.ए. प्रथम वर्ष तक शिक्षित ग्रामीण पृष्ठभूमि की महिला है तथा कोई व्यवसायिक डिग्री या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने से वह कोई नौकरी या व्यापार करने में सक्षम नहीं है तथा प्रार्थी क्रमांक 02 प्रतिप्रार्थी की अवयस्क पुत्री है। ऐसे स्थिति में उक्त दोनों के भरण-पोषण का दायित्व प्रतिप्रार्थी पर है तथा प्रतिप्रार्थी दोनों ही प्रार्थीगण का भरण-पोषण करने के सक्षम है। इस प्रकार द.प्र.सं. की धारा- 125 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिप्रार्थी पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है और फिर भी उसके द्वारा प्रार्थीगण के भरण-पोषण में जानबुझकर उपेक्षा तथा इंकार किया जा रहा है इस कारण प्रार्थीगण, प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह भरण-पोषण की राशि पाने के अधिकारी है।

21. उभय पक्षों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति एवं मंहगाई के स्तर को देखते हुये प्रार्थी क्रमांक 01 प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) एवं प्रार्थी क्रमांक 02 प्रतिप्रार्थी से प्रतिमाह रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) इस प्रकार कुल 7000/- (सात हजार रुपये) प्रतिमाह भरण-पोषण पाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थीगण का द.प्र.सं. की धारा- 125 का दिनांक 30.03.2015 को स्वीकार करते हुये प्रतिप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह प्रार्थीगण को प्रतिमाह भरण-पोषण के रूप में रुपये 7000/- (सात हजार रुपये) संयुक्त रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अदा करे या न्यायालय में जमा करें। चूंकि प्रार्थी क्रमांक 02 अवयस्क है तथा प्रार्थी क्रमांक 01 के साथ निवास कर रही है। अतः उसकी राशि भी प्रार्थी क्रमांक 01 पाने की अधिकारी

// 10 //

होगी। उक्त आदेश प्रार्थी क्रमांक 02 के विवाह होने अथवा नौकरी करने एवं प्रार्थी क्रमांक 01 के पुनर्विवाह होने तक अस्तित्व में रहेगा। उक्त आदेश दिनांक 12.10.2017 से लागू होगा।

21. प्रार्थीगण के आवेदन का व्यय रुपये 2000/- (दो हजार रुपये) निर्धारित किया जाता है, जो प्रतिप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को अदा किया जाएगा।

22. प्रतिप्रार्थी अपने आवेदन का व्यय स्वयं वहन करेगा।

23. उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थीगण को निःशुल्क दी जाए।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही/-
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

सही/-
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.

